



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

६वां, ७वां एवं ८वां तल, टावर-बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौरोजी नगर, नई दिल्ली-११००२९

याचिका सं. ८४ / टीडी / २०२५

दिनांक: २५.२.२०२५

विद्युत अधिनियम, २००३ (अधिनियम) की धारा १५ की
उप-धारा (५) के खंड (क) के अधीन नोटिस

- सम्पूर्ण भारत में विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए श्रेणी-IV की अनुज्ञाप्ति प्रदान किए जाने के लिए केवीके एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, नं. ६-३-११०९/ए/१, तृतीय तल, नवभारत चौम्बर्स, राज भवन रोड, सोमाजीगुडा, हैदराबाद ५०००८२ द्वारा आयोग के समक्ष आवेदन किया गया है।
- केवीके एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञाप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति वेबसाइट <http://www.kvkenergy.com> पर देखी जा सकती है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
- रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग संतुष्ट है कि प्रथम दृष्टया आवेदक विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञाप्ति प्रदान किए जाने के लिए अर्हक है और दिनांक 24.2.2025 के आदेश द्वारा आयोग ने संपूर्ण भारत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए आवेदक को श्रेणी-IV की अनुज्ञाप्ति प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया है।
- अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (५) के खंड (क) के अनुसरण में आयोग द्वारा यथापर्वत विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार हेतु अनुज्ञाप्ति प्रदान किए जाने के प्रस्ताव के प्रति, सुझाव या आपत्तियाँ, यदि कोई हों, आमंत्रित करने के लिए एतद् द्वारा नोटिस दिया जाता है जो कि दिनांक 7.3.2025 तक अधोहस्ताक्षरी के पास दिए ऊपर दिए गए पते पर पहुंच जाएं। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आयोग ने दिनांक 11.3.2025 को अंतिम निपटान के लिए आवेदन को निर्धारित किया है और जो व्यक्ति सुझावों या आपत्तियों को दाखिल करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता / -
(हरप्रीत सिंह पुर्थी)
सचिव